

8 20

उपखण्ड अधिकारी  
रायबंजमण्डी

पत्रावली पेश। वकील शर्मा एवं शर्मा उपस्थित  
हैं। शर्मा द्वारा शर्मना पत्र को विक्रय करने एवं  
असल इस्लामेज मुकाम खोलने का शर्मना फर पेश किया।  
शर्मना पत्र पर वकील शर्मा को खुला गया। उक्त  
का शर्मा भाग नहीं चलाया चाहता तथा केली के  
विक्रय नहीं करवादी कला चाहता है।

शर्मा का शर्मना पत्र स्वीकार किया जाता  
है। शर्मा को उसके द्वारा प्रस्तुत असल इस्लामेज  
नोटिस आफ फोर प्रोसी शर्मना पत्र की  
आव। शर्मा द्वारा खेचडा रस शा. क 136. 2. 12.  
Act को विक्रय कर दिया है, कला विक्रय के  
आधार पर पत्रावली की निर्णय में 'गाना'  
की जानत प्रविष्ट लेख भण्डार है।

Bimoh

प्रमाणित प्रतियाँ  
शर्मना पत्र व विक्रय  
को उपस्थित  
गोपनीय  
गयी।

Bimoh

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी  
रायबंजमण्डी